

कार्यालय कल्याण आयुक्त
मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल

83,मालवीय नगर भोपाल-3
फोन 0755-2572753, 0755-2762978

Email-mplabourwelfareactivity@gmail.com
www.labour.mp.gov.in

कल्याणी सहायता राशि हेतु आवेदन पत्र

प्रति,

कल्याण आयुक्त,
म.प्र. श्रम कल्याण मंडल
83, मालवीय नगर भोपाल – 462003

विषय :-लोक सेवा गारंटी योजना सेवा क्रमांक 2.35 कल्याणी सहायता योजना (श्रम कल्याण मंडल)

- 01 आवेदक कल्याणी का नाम श्रीमति
- 02 पति का नाम स्व. श्री
- 03 निवास का पूर्ण पता
- 04 संस्थान/स्थापना का पूरा नाम/पता जिसमें श्रमिक कार्यरत था
- 05 संस्थान/स्थापना का कम्प्यूटर अभिदाय कोड क्रमांक जिसमें श्रमिक कार्यरत था (यदि हो)
- 06 संस्थान/स्थापना का ईमेल
- 07 संस्थान/स्थापना का दूरभाष क्रमांक
- 08 आवेदक का मोबाईल नम्बर
- 09 जाति – अनु.जाति अनु.जन.जाति पि.वर्ग सामान्य
- 10 मृतक कर्मचारी/श्रमिक का संस्थान/स्थापना में नियुक्ति दिनांक (DD/MM/YYYY)
- 11 कर्मचारी/श्रमिक का मृत्यु पूर्व धारित पद
- 12 कर्मचारी/श्रमिक का मृत्यु पूर्व मासिक वेतन
- 13 मृतक कर्मचारी का
 - (अ) ई.एस.आई क्र. (यदि हो)
 - (ब) पी.एफ क्र (यदि हो)
- 14 मृत्यु
 - (अ) दिनांक (DD/MM/YYYY)
 - (ब) स्थान
 - (स) मृत्यु का कारण
- 15 वर्तमान में आवेदक कल्याणी के बच्चों की स्थिति :-
 - (अ) पुत्र
 - (ब) पुत्री
- 16 आवेदक कल्याणी का
 - (अ) बैंक खाता क्रं
 - (ब) बैंक का नाम व पता
 - (स) बैंक का IFSC कोड
 - (द) आधार कार्ड U.I.D क्रमांक
- 17 सत्यापित करने वाले नियोजक/प्रबंधक का ईमेल
 - (अ) ईमेल
 - (ब) मोबाईल नम्बर
 - (स) पदनाम

आवेदक के हस्ताक्षर

नियोजक के हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से कथन करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है, असत्य पाये जाने की दशा में प्राप्त राशि वापस करने का वचन देती हूँ। कल्याणी पेंशन सहायता राशि मुझे अन्य किसी स्थान/विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- नोट :-1 आवेदन पत्र मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय/श्रम कल्याण एवं कौशल उन्नयन केन्द्र से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं भरे हुए आवेदन पत्र स्थानीय लोक सेवा केन्द्र में पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करने हेतु प्रस्तुत किये जा सकेंगे।
- 2 कल्याणी सहायता राशि प्राप्त करने हेतु प्रतिवर्ष प्राप्तकर्ता को जीवित होने का एवं पुनर्विवाह न किये जाने का शपथ पत्र कार्यालय को आवेदन के साथ प्रेषित करना होगा।
 - 3 अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेगे।
 - 4 आवेदक आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करेंगे – अपनी बैंक पास बुक, आधार कार्ड, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र की स्वसत्यापित छायाप्रति एवं पी.एफ. तथा ई.एस.आई. कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति (यदि हो)
 - 5 कल्याणी सहायता राशि वर्ष में दो बार क्रमशः जून एवं दिसम्बर माह की समाप्ति उपरांत प्रदाय की जायेगी।
 - 6 आवेदक को लोक सेवा केन्द्र द्वारा निर्धारित शुल्क भुगतान करना होगा।
 - 7 लोक सेवा केन्द्र में आन लाइन आवेदन जमा करने के उपरांत आवेदन पत्र सहपत्रों सहित श्रम कल्याण केन्द्र अथवा क्षेत्रीय कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।
 - 8 ठेका श्रमिक के प्रकरण में आवेदन को मुख्य नियोजक से सत्यापित करवाना अनिवार्य है।

संलग्न दस्तावेज

- 1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में भरा गया आवेदन पत्र जिसमें निर्धारित स्थान पर आवेदक एवं संस्थान/स्थापना के नियोजक/प्रबंधक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित किये गये हो।
- 2 कल्याणी द्वारा पुनर्विवाह न किये जाने का प्रमाण पत्र (शपथ पत्र)।
- 3 आवेदक का बैंक पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसमें खाता धारक का नाम, बैंक खाता क्रमांक एवं आई.एफ.एस.सी कोड स्पष्ट दिखाई दे रहा हो।
- 4 मृतक श्रमिक के मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

दिनांक

स्थान

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

....